खास-खबरें

स्वास्थ्य जागरुकता के तहत निबंध प्रतियोगिता आयोजित

सीहोर। शासकीय कन्या महाविद्यालय सीहोर में भारतीय युवा रेडक्रॉस समिति एवं हेल्थ क्लब के द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य सामग्री में मिलावट से स्वास्थ्य हानि विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन हेल्थ क्लब प्रभारी डॉ कालिका डोलस एवं रेड क्रॉस समिति प्रभारी प्रिती देशभ्रतार द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गणेश लाल जैन के निर्देशन में किया गया। यह प्रतियोगिता छात्राओं में खाद्य सामग्री में मिलावट के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में सहायक सिद्ध हुई, प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इसी कार्यक्रम के तहत आगामी दिनों में एक खाद्य मिलावट संबंधी डेमोंट्रेशन आयोजित किया जाएगा।

मानदेय न मिलने से आर्थिक संकट गहराया

गंजबासौदा। महिला बाल विकास के अधीन संचालित आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मंडे ना मिलने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है बताया जाता है कि 3 माह की सैलरी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को ही रुकी हुई थी जो कि 2 महीने का मानदेय मिल चुका है परंतु अभी भी पन्द्रह दिन गुजरने के बाद भी फरवरी का मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत विश्वगुरू बनने की दिशा में कर रहा है कामः सतीश उपाध्याय

मध्यप्रदेश लोकसभा चुनाव सहप्रभारी ने विधानसभा संचालन समिति की बैठक को किया संबोधित

शाजापुर।

आज हम जिस भारत में रह रहे है वह मोदी जी का नया भारत है, जो काम सेकडो वर्षो से नही हुए थे वे काम इस नए भारत में पूरे होते हम देख रहे है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण, धारा 370 का समाप्त होना, तीन तलाक का समाप्त होना, गरीबों के पक्के मकान बनना और जनकल्याणकारी योजना के माध्यम से लाखो लोगो तक लाभ पहुंचना ये सब होते हम देख रहे है। हम एक स्वर्णिम काल में है।

यह बात दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मप्र लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने स्थानीय रेस्ट हाउस पर शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल एवं आगर विधानसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी है और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम व्यक्ति के जीवन को सशक्त बनाने का काम किया है। मोदी जी ने और इसी ताकत को दोगुनी करने के लिए हमे इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक मतो से विजय बनाना है। सभी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी और चुनाव में जिम्मेदारी से कार्य करने वाले कार्यकर्ता बूथ पर प्रवास कर भाजपा का मतदान प्रतिशत बड़ाने का कार्य करेंगे। बूथ विजय अभियान के अंतर्गत 10 दिनों तक सभी कार्यकर्ता बूथ पर पहुंचकर 10 करणीय कार्य को पूरा करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओ से अबकी बार 400 पार एवं फिर एक बार मोदी सरकार के नारे नारे लगवाए।

इस अवसर पर संभाग प्रभारी जीतू जिराती, मप्र सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री इंदरसिह परमार, क्षेत्रीय सांसद भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी, लोकसभा प्रभारी जगदीश अग्रवाल, लोकसभा संयोजक बहादुरसिंह मुकाती, शाजापुर जिलाध्यक्ष अशोक नायक, आगर जिलाध्यक्ष चिंतामन राठौर, शाजापुर विधायक अरुण भीमावद, कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवशी, आगर विधायक मधु गहलोत,प्रदेश मंत्री क्षितिज भट्ट सहित चारो विधानसभा की चुनाव संचालन समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री दिनेश शर्मा ने किया तथा आभार जिला महामंत्री विजय बैंस ने माना।

फिर से देवास लोकसभा में ऐतिहासिक मतो से खिलाना है कमल - सोलंकी: बैठक के पूर्व जिला कार्यालय पर शाजापुर विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में क्षेत्रीय सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी महेंद्रसिंह सोलंकी ने संबोधित करते हुए कहा की जब पहली बार में इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लडा था तब मुझे विश्वास नहीं था कि भाजपा संगठन मुझे इस काम के लिए तय कर रही है। मीडिया की खबरों से पता चला की मुझे चुनाव लड़ाने पर भाजपा संगठन विचार कर रहा है और जब मेरे नाम की घोषणा प्रत्याशी के रूप में की गई तब मुझे बहुत खुशी थी कि देश की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। मीडिया ने जब मुझसे सवाल किया कि आप चुनाव लड़ने के लिए अपनी जज की नौकरी छोड़ देंगे तब मेने जवाब दिया था कि देश सेवा के लिए नोकरी तो क्या में अपने प्राण तक त्याग सकता हूं।

देवर ने भाभी की सुपारी पड़ोसी को देकर करा दी हत्या

सीहोर। देवर ने भाभी से परेशान होकर उसकी हत्या की सुपारी पडोसी को देकर उसकी हत्या दी। सैकड़ाखेड़ी रोड पर एक पुलिया के पास एक बोरी बंधे में महिला के शव की पहचान के बाद कोतवाली पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। इस मामले में पुलिस ने सभी महिला का हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाने के तहत 11 मार्च को सैकडाखेड़ी पुलिया के पास एक सफेद रंग के बोरे में एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद कर मामले को जांच में लिया था। मृतिका की शिनाख्त पूजा पत्नि अमित अखेपुरिया उम्र 30 साल निवासी फारेस्ट कालोनी गंज सीहोर के रुप में हुई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसपी मंयक अवस्थी ने अज्ञात आरोपियों की तलाशने टीम गठित की। संदेह के आधार पर पुलिस ने मृतिका के देवर अक्षय अखेपुरिया से पूछताछ की उसने बताया कि अपनी भाभी पूजा से परेशान होकर अपने घर के सामने रहने वाले हेमंत उर्फ हनी व उसके दोस्त को पूजा को जान से मारने की सुपारी डेढ़ लाख रुपए में दी। 8 मार्च को आरोपी हेमंत उर्फ हनी चौहान ने मृतिका को आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने की बात को लेकर अपने साथ यूनिक कैफे सैकड़ाखेड़ी ले गया। जहाँ उसका दोस्त भी मौजूद था। जहां दोनों मृतिका पूजा को सफेद रंग के रुमाल की मदद से दम घोट कर मार दिया। बाद में मृतिका पूजा की लाश के साथ गलत काम किया। इसके बाद आरोपियों ने मृतिका पूजा के शव के हाथ पैर बांध कर सफेद रंग के बोरे के अंदर डाल कर शव को सैकड़ाखेड़ी हाईवे पुलिया के पास फेंक दिया। वहीं मृतिका का मोबाइल व पर्स मंडी श्मशान के पास झाड़ियों में छुपा दिया। पुलिस ने आरोपी अक्षय अखेपुरिया पिता गंगाप्रसाद अखेपुरिया उम्र 32 साल निवासी फारेस्ट कालोनी गंज, हेमंत उर्फ हन्नी चौहान पिता स्वर्गीय महेंद्र चौहान उम्र 18 साल निवासी फारेस्ट कालोनी गंज और नाबलिग युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

मिष्ठान भण्डार तथा मेडिकल स्टोर्स की जांच

रायसेन।

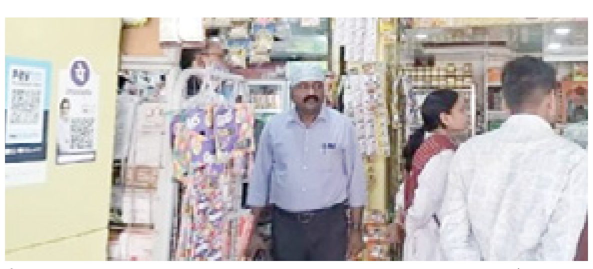

कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा जिले में खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच कर अमानक और मिलावटी खाद्य पदार्थो के कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। कलेक्टर श्री दुबे के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य तथा पुलिस के संयुक्त दल द्वारा शुक्रवार को रायसेन में हम फ्रेश मिष्ठान भण्डार तथा बीकानेर मिष्ठार भण्डार का निरीक्षण कर मावा एवं मावे से बनी मिठाईयों के नमूने लिए गए। साथ ही साफ-सफाई रखने के लिए निर्देश किया गया। कार्यवाही में सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती कुदसिया खान तथा श्रीमती कल्पना आरसिया तथा पुलिस अधिकारी शामिल रहे। इसके उपरांत संयुक्त दल तथा ड्रग इंस्पेक्टर श्री अजीत जैन द्वारा शिकायत के आधार पर मेडिकल स्टोर पर जाकर जांच की गई। मेडिकल स्टोर में मरीजों को देखने के लिए बिस्तर पाए गए, जिस पर नियमानुसार ड्रग इंस्पेक्टर को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

गांवों के समग्र विकास के लिए कार्य योजना अंतर्गत तेजी से कार्य करें : कलेक्टर

सीहोर। कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के संबंध मे विस्तृत बिन्दुवार और ग्रामवार चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि आदर्श ग्राम एक ऐसी संकल्पना है जिसमें लोगों को विभिन्न बुनियादी सेवाएं देने की कार्ययोजना बनाकर ग्रामों का विकास किया जायगा।

6 लाख 21 हजार रु. मूल्य का खाद्य तेल जब्त, परीक्षण हेतु नमूने लिए

विदिशा (निप्र)।

नवागत कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने बैठक कर मिलावट के विरूद्ध विशेष अभियान अंतर्गत बड़े पैमाने पर कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया है। इसी कड़ी में संभागीय उडनदस्ता एवं जिला टीम के संयुक्त समन्वय से विदिशा में की गई आकस्मिक जाँच-पड़ताल के दौरान 6 लाख 21 हजार रु. मूल्य का खाद्य तेल बिना खाद्य अनुज्ञप्ति का पाए जाने पर जब्त कर सेम्पल परीक्षण हेतु भेजा गया है।

निरीक्षण के दौरान स्वर्णकार कालोनी स्थित किरण ट्रेडर्स में 6 टन खुला रिफाइंड सोयाबीन तथा अभिषेक ट्रेडर्स में लगभग 200 किलोग्राम राइस ब्राउन तेल का विक्रय हेतु भण्डारण पाया गया। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अन्तर्गत खुला तेल का विक्रय प्रतिबंधित होने के कारण संभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा दोनों प्रतिष्ठानों में उपलब्ध सम्पूर्ण मात्रा को जब्त किया गया। विक्रय किये जा रहे तेल की गुणवत्ता की जाँच हेतु खुले तेल के नमूने एकत्र कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित किया गया है। अभिषेक ट्रेडर्स में बिना खाद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त किये खाद्य कारोबार का संचालन होना पाया गया था जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 का उल्लंघन है तथा धारा 63 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है।

उड़नदस्ता द्वारा पीतलमिल औद्योगिक क्षेत्र स्थित डायमण्ड फूड प्रोडक्ट्स का निरीक्षण कर टोस्ट तथा उपयोग किये जा रहे पाम तेल के नमूने लिये गये। संभागीय उड़नदस्ता में खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र कुमार दुबे, अरूणेश पटेल तथा संदीप पाटिल के साथ स्थानीय अधिकारी राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद त्यागी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती एडलिन ई. पन्ना तथा संदीप वर्मा शामिल रहे।

पेज एक से जारी खबरों के शेष

द्रमुक, कांग्रेस...

अपमान करना जानते हैं। तमिलनाडु के लोग जानते हैं कि द्रमुक ने तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता के साथ कैसा व्यवहार किया था। वह संस्कृति आज भी जारी है। द्रमुक और कांग्रेस दोनों महिला विरोधी हैं और वे महिलाओं के नाम पर राजनीति करते रहे हैं। द्रमुक नेताओं ने महिला आरक्षण विधेयक लाने के केंद्र के कदम पर भी सवाल उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की वापसी का मार्ग प्रशस्त किया और राज्य के विकास के लिए बिना रुके काम किया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में केरल की जनता ने हमें दो अंकों के वोट प्रतिशत वाली पार्टी बनाया था। और अब, यहां दोहरे अंकों की सीटों से हमारा भाग्य दूर नहीं है! प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल के लोग राज्य में शासन करने वाली भ्रष्ट और अक्षम सरकारों के कारण पीड़ित हैं और यहां की सरकारों ने रबर किसानों की दुर्दशा के प्रति आंखें मूंद ली हैं। केरल में आम तौर पर एलडीएफ या यूडीएफ ही सत्ता पर काबिज होते रहे हैं। दक्षिण के इस राज्य में भाजपा का प्रदर्शन अब तक कोई खास नहीं रहा है। भाजपा यहां पैर जमाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। केरल में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी उन्होंने एलडीएफ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में चर्च के पादरी भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की शर्मनाक स्थिति के कारण वे हिंसा का शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं असंख्य कॉलेज कम्युनिस्टों का अड्डा बन गए हैं।

एसबीआई को...

ने अधिवक्ता अमित शर्मा के माध्यम से शीर्ष में एक याचिका दायर कर 12 अप्रैल 2019 और 2 नवंबर 2023 के पिछले आदेशों के संदर्भ में शीर्ष अदालत को सौंपे गए चुनावी बांड पर डेटा जारी करने का निर्देश देने की मांग की। शीर्ष अदालत के 11 मार्च 2024 के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग ने गुरुवार को एसबीआई द्वारा उसे दिए गए चुनावी बांड पर डेटा अपलोड कर दिया था।

मुख्यमंत्री ने दी...

2023 से इसे मध्यप्रदेश में लागू करने का निर्णय हुआ है। में आने वाले समय में महंगाई भत्ते यथासमय वृद्धि की जाएगी। अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही राज्य शासन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की राशि पात्रतानुसार समय पर देने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को मंत्रालय स्थित उनके कक्ष में अनेक कर्मचारी बंधुओं ने भेंट की और महंगाई भत्ते की राशि में वृद्धि के आदेश जारी होने पर आभार व्यक्त किया। कर्मचारी संगठनों के कुछ पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर कर्मचारी हितैषी निर्णय के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

लोकसभा चुनाव...

कमर कस ली है। भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्टय भी जारी कर दी हैं। पिछली बार 2019 में आम चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच सात चरणों में हुआ था । वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में हाल में एक नया कानून लागू होने के बाद, निर्वाचन आयोग में नियुक्त किए गए पहले सदस्य हैं। एक प्रवक्ता ने बताया कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का स्वागत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने ऐसे ऐतिहासिक समय पर उनकी नियुक्ति के महत्व के बारे में बात की जब निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव कराने की तैयारियां कर रहा है। अनूप चंद्र पांडे के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने और आठ मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में ये पद खाली हो गए थे।

पूछताछ के लिए...

परिवार अंदर नहीं आ सकता है। वह यह भी कहती है कि उसके पास कोई ट्रांजिट वारंट नहीं है, वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हो सकती है, लेकिन वह मामला बनाना चाहती है।

बैलेट से चुनाव...

शर्मा ने ईसीआई को ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का अधिकार देने वाले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61ए को रद्द करने का अनुरोध किया था। याचिका में कहा गया था, बैलेट पेपर के खिलाफ बूथ कैप्चरिंग, मतपेटी रोके जाने, अवैध वोट, पेपर की बर्बादी आदि की दलील अनुचित और तर्कहीन है, जबकि एक ईवीएम मशीन में लगभग 4 हजार वोट जमा होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रति निर्वाचन क्षेत्र केवल 50 ईवीएम मशीनों के डेटा में हेरफेर कर, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में 1 लाख से 1.92 लाख तक की चुनावी धोखाधड़ी संभव है।

कोयंबटूर में मोदी...

रुख किया था। भाजपा और राज्य सरकार को सुनने के बाद न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा था कि वह आज शाम 4.30 बजे तक आदेश पारित करेंगे। पीएम मोदी अगले चार दिनों यानी 19 मार्च तक सभी दक्षिणी राज्यों का दौरा करेंगे और उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी कड़ी में पीएम मोदी का 18 मार्च को तमिलनाडु के कोयंबटूर में रोड शो का कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी पहले ही तमिलनाडु के 5 दौरे कर चुके हैं। तमिलनाडु में भाजपा की बेहद कम उपस्थिति है। पिछले आम चुनाव में पार्टी को तीन प्रतिशत से भी कम वोट-शेयर मिला था।

कलेक्टर ने निजी विद्यालयों के संचालकों और पुस्तक विक्रेताओं की बैठक ली

देवास। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने देवास जिले के निजी विद्यालयों के संचालकों और पुस्तक विक्रेताओं की बैठक कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में ली। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री हिमांशु प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री प्रवीण फुलपगारे, जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचएल खुशाल, डीपीसी श्री प्रदीप जैन, बीआरसी श्री किशोर वर्मा, निजी विद्यालयों के संचालक और पुस्तक विक्रेता उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देश दिये कि निजी विद्यालयों के संचालकों को निर्देश दिये कि पाठ्यक्रम न्यूनतम रखें। पुस्तकों में आपत्तिजनक कंटेंट नहीं होना चाहिए। पालकों पर पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पुस्तकें खरीदनें पर दबाव नहीं डालें। किसी एक निजी प्रकाशक की पुस्तक खरीदने के लिए प्रचार नहीं करें। कोई भी विद्यालय अधिकतम दो से अधिक यूनिफार्म निर्धारित नहीं कर सकेंगे।

In The Court of Motor Accident Claims Tribunal, District Court Bhopal
Presiding Officer: **अमिताभ मिश्रा**
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MACC/0002045/2023)
शकुन्तला शुक्ला...................... वादी
V/S प्रेम प्रजापति .... प्रतिवादी
Process Id-/2024
पेशी दिनांक : 19/04/2024

प्रेषिती: (1) प्रेम प्रजापति पिता मदन प्रजापति पता- वार्ड नं. 07 इटावा थाना देवास जिला देवास म.प्र.। यह कि प्रार्थी शकुन्तला शुक्ला ने आपके विरुद्ध आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 12 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

अमिताभ मिश्रा, न्यायाधीश
सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भोपाल (म.प्र.)
4880

In The Court of Motor Accident Claims Tribunal, District Court Bhopal
Presiding Officer: **अमिताभ मिश्रा**
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MACC/0002044/2023)
शकुन्तला शुक्ला...................... वादी
V/S प्रेम प्रजापति .... प्रतिवादी
Process Id-/2024
पेशी दिनांक : 19/04/2024

प्रेषिती: (1) प्रेम प्रजापति पिता मदन प्रजापति पता- वार्ड नं. 07 इटावा थाना देवास जिला देवास म.प्र.। यह कि प्रार्थी शकुन्तला शुक्ला ने आपके विरुद्ध आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 12 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

अमिताभ मिश्रा, न्यायाधीश
सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भोपाल (म.प्र.)
4881

In The Court of Motor Accident Claims Tribunal, District Court Bhopal
Presiding Officer: **अमिताभ मिश्रा**
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MACC/0002043/2023)
शकुन्तला शुक्ला...................... वादी
V/S प्रेम प्रजापति .... प्रतिवादी
Process Id-/2024
पेशी दिनांक : 19/04/2024

प्रेषिती: (1) प्रेम प्रजापति पिता मदन प्रजापति पता- वार्ड नं. 07 इटावा थाना देवास जिला देवास म.प्र.। यह कि प्रार्थी शकुन्तला शुक्ला ने आपके विरुद्ध आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 12 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

अमिताभ मिश्रा, न्यायाधीश
सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भोपाल (म.प्र.)
4882

In The Court of Motor Accident Claims Tribunal, District Court Bhopal
Presiding Officer: **अमिताभ मिश्रा**
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MACC/0002042/2023)
शकुन्तला शुक्ला...................... वादी
V/S प्रेम प्रजापति .... प्रतिवादी
Process Id-/2024
पेशी दिनांक : 19/04/2024

प्रेषिती: (1) प्रेम प्रजापति पिता मदन प्रजापति पता- वार्ड नं. 07 इटावा थाना देवास जिला देवास म.प्र.। यह कि प्रार्थी शकुन्तला शुक्ला ने आपके विरुद्ध आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 12 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

अमिताभ मिश्रा, न्यायाधीश
सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भोपाल (म.प्र.)
4883

In The Court of Motor Accident Claims Tribunal, District Court Bhopal
Presiding Officer: **अमिताभ मिश्रा**
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MACC/0002041/2023)
पंकज शुक्ला...................... वादी
V/S प्रेम प्रजापति .... प्रतिवादी
Process Id-/2024
पेशी दिनांक : 19/04/2024

प्रेषिती: (1) प्रेम प्रजापति पिता मदन प्रजापति पता- वार्ड नं. 07 इटावा थाना देवास जिला देवास म.प्र. 455001। यह कि प्रार्थी पंकज शुक्ला ने आपके विरुद्ध आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 12 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

अमिताभ मिश्रा, न्यायाधीश
सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भोपाल (म.प्र.)
4884

In The Court of XVIII Additional Motor Accident Claims Tribunal, District Court Bhopal
Presiding Officer: **सचिन कुमार घोष**
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MACC/0000392/2020)
अमित सहगल...................... वादी
V/S वीरेन्द्र सिंह राजपूत................ प्रतिवादी
Process Id-/2024
पेशी दिनांक : 22/04/2024

प्रेषिती: (1) वीरेन्द्र सिंह राजपूत पिता नारायण सिंह पता- म.नं. डी 60 बाग दिलकुशा रायसेन रोड केपीटल पेट्रोल पम्प के पीछे अशोका गार्डन भोपाल, दूसरा पता- ग्राम बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन।
यह कि अमित सहगल ने आपके विरुद्ध आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 12 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

सचिन कुमार घोष, न्यायाधीश
सदस्य,अठारहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भोपाल (म.प्र.)
4885

In The Court of V Additional Motor Accident Claims Tribunal, District Court Bhopal
Presiding Officer: **विनय कुमार भारद्वाज**
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MACC/0000011/2022)
अमन यादव...................... वादी
V/S अरुण बाल्मिकी................ प्रतिवादी
Process Id-/2024
पेशी दिनांक : 23/04/2024

प्रेषिती: (1)अरुण बाल्मिकी पिता विष्णु बाल्मिकी पता- मंगल मार्केट वार्ड क्र. 09 श्री हास्पिटल के सामने मंडीदीप थाना मंडीदीप जिला रायसेन म.प्र. मो. 9981635990, (2) पुरुषोत्तम चौरसिया पिता सुरेश कुमार चौरसिया पता म.नं. 630 वार्ड क्र. 09 जाकिर हुसैन वार्ड मस्जिद क्षेत्र लवकुश नगर मण्डीदीप थाना मंडीदीप जिला रायसेन म.प्र. मो. 9108073716।
यह कि प्रार्थी अमन यादव ने आपके विरुद्ध आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 26 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

विनय कुमार भारद्वाज, न्यायाधीश
पंचम जिला न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.)
4886

न्यायालय तहसीलदार नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल मध्य प्रदेश
(7 नंबर बस स्टाप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास शिवाजी नगर भोपाल)

इश्तहार

ग्राम- खजूरीकला प्र. क्र. 3237/अ-6/2023-24

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित भूमि के नामांतरण कार्यवाही स्तम्भ 4 में अंकित के स्थान पर स्तम्भ 5 में अंकित व्यक्ति के नाम की जा रही है। अत: उक्त नामांतरण में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे निश्चित दिनांक को या तो स्वयं किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हो तथा नामांतरण में कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत करें।
क्रेता- अतुशील श्रीवास्तव आ. बालाप्रसाद जी श्रीवास्तव, **विक्रेता**- उमराव सिंह आ. केशवराम नि. खजूरी कला।

भूमि का वितरण

स.क्र. 1, 1, पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक 2, खजूरीकला, ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम (3) खजूरीकलां, सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक (4) 774/1/1/15, क्षेत्रफल (हेक्टेयर) वर्गमीटर में) (5) रकबा 0.25 एकड़, नामांतरण हेतु भूमि का क्षेत्रफल 6। नियत दिनांक 27.3.2024 के बाद प्रस्तुत आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 11.3.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से आधीन जारी किया गया।

(तहसीलदार)
एम.पी. नगर वृत्त भोपाल
4887